न्यायालय: न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रेमलता सैनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दीवानी प्रकरण संख्या–: 14/2026
CIS No. :– 14/2026
(CNR No. RJBH320002752026)

1. मै. के. खण्डेलवाल नई सड़क, डीग जरिये भागीदार कार्तिकेय खण्डेलवाल पुत्र केदार नाथ जी खण्डेलवाल, निवासी नई सड़क डीग तहसील व जिला डीग (राजस्थान)

... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, भरतपुर (राज.)
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र, भरतपुर कृष्णा नगर, भरतपुर (राज.)
3. अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत, भरतपुर (राज.)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :–

1. श्री श्रीनाथ शर्मा, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से.
2. श्री नरेश सिंघल, विद्वान राजकीय अभिभाषक–अप्रार्थीगण की ओर से.

::– आ दे श – :: **दिनांक: 07.08.2026**

1. प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी मूल वादपत्र के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर विविध दीवानी प्रकरण संख्या 14/2026 के रुप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी फर्म जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत ए क्लास संवेदक है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनवरी 2023 में भरतपुर जिले के लिये विभिन्न जल योजनाओ के कार्य के लिये निविदाए आमंत्रित की थी। प्रार्थी कार्य Construction & Commissioning of 200 mm dia three phase Tube Well on Annual

rate Contract basis in Combination Strata including defect liability period of two years in Urban/Rural area of District Bharatpur against NIB No. 11/2025–26 (EC Rs. 450.00 Lacs) के लिये अन्य के साथ–साथ निविदाए प्रस्तुत की थी। प्रार्थी की कार्य दरें निम्नतम थी और वह तकनीकी रूप से कार्य के लिये पात्र था। इसलिये प्रार्थी की निविदा अप्रार्थी संख्या–2 के द्वारा स्वीकृत की गई और अनुबंध धरोहर राशि आदि की विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रार्थी को आदेश संख्या–F3()/AR. Bharatpur/2025–26/10219–25 दिनांक 09.03.2026 द्वारा कार्यादेश जारी किये। कार्य का एन.आई.बी मूल्य 450 लाख रूपये था तथा प्रार्थी को एमाउन्ट रेट कॉन्ट्रेक्ट बेसिक से भुगतान किया जाना प्रबन्धित था। इस कार्य की अवधि एक वर्ष थी।

3. प्रार्थी का आगे कथन रहा कि उक्त कार्यादेश की अनुपालना में प्रार्थी फर्म ने अप्रार्थीगण के आदेशानुसार नदबई, वैर और बयाना में ट्यूबवैल का निर्माण कर दिया और शेष स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। प्रार्थी का कार्य पूर्ण रूप से जी शैड्यूल के मुताविक संतोषपूर्ण रूप से पूरा हुआ। दिनांक 23.07.2026 को अप्रार्थी संख्या–3 ने नवीन निविदा विभिन्न कार्यों के लिये जारी की है जिसमें प्रार्थी को आंवटित कार्य भी सम्मलित है। जबकि विधि अनुकूल प्रार्थी की संविदा विद्यमान रहते किसी भी कार्य के लिये ट्यूबवैल निर्माण निविदाए आमंत्रित नहीं की जा सकती तथा प्रार्थी को दिये गये कार्यादेश को नियमों के अनुसार न तो निरस्त किया जा सकता है और न ही उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को आवंटित कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप संविदा अधिनियम, विभागीय नियम, आदेश व निर्देश के विपरीत है। परन्तु अप्रार्थीगण विशेष कर अधीक्षण अभियंता अपने पदीय अधिकारों का दुरूपयोग कर विधि के विपरीत आर्बीट्रेरी तरीके से प्रार्थी को आवंटित कार्य से विरक्त किया जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी दुर्भावना से प्रश्नगत कार्य के लिये बिना किसी औचित्य के पुनः निविदाए आमंत्रित की गई।

4. प्रार्थी का आगे कथन रहा कि विभाग द्वारा BSR 2023 जिसके आधार पर प्रार्थी को कार्यादेश जारी किया गया था उस BSR दरों में वर्ष 2026 में कुछ परिवर्तन किया गया है और उसके आधार पर पुनः निविदा जारी की गई है। नयी BSR की दर पूर्व की BSR से कम है। प्रार्थी ने वर्तमान BSR दर से कम दर पर कार्य लिया है। इसलिये विभाग को कोई वित्तीय हानि नही है बल्कि विभाग आर्थिक रूप

से लाभ में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के कार्यादेश को Abandoned करना पूर्ण रूप से न केवल आर्बीट्रेरी बल्कि प्राकृतिक न्याय व समता सिद्धान्त के विपरीत है। नई BSR के लागू होने से पूर्व पहली BSR ही प्रभावी रहेगी, पुराने कार्यो को नई दर से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि कार्य पर नियमानुसार 18 प्रतिशत जीएसटी ली जाती है जो पहले कार्यादेश में भी लिया जाना प्रबन्धित है और नवीन BSR में भी इसी दर से जी.एस.टी का लेन–देन प्रबन्धित है। इसमें कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं है। इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 04.05.2026 एवं दिनांक 24.07.2026 द्वारा BSR के सम्बन्धित प्रावधानों में दिनांक 31.12. 2026 तक शिथिलता प्रदान की है। ऐसी स्थिति में पूर्व में आवंटित किये गये कार्य के लिये नई निविदा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके उपरान्त भी निविदा जारी किया जाना राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत है।

5. प्रार्थी का आगे कथन रहा कि अप्रार्थीगण राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी सायल को उपरोक्तानुसार छूट नहीं दिया जाना पूर्ण रूप से गलत है जो प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करता है। प्रार्थी ने विभिन्न दिनांको को अप्रार्थीगण को मौखिक व लिखित निवेदन कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया और प्रार्थी के कार्यादेश की अवधि मार्च 2027 तक सायल को पुरानी BSR एवं उसके आधार पर जारी कार्यादेश की अवधि माह मार्च 2027 तक निर्वाद रूप से कार्य स्वीकृत करे और बिना किसी व्यवधान के उन्हें पूरा करने में कोई व्यवधान उत्पन्न न करे। परन्तु अप्रार्थीगण ने अकथनीय कारणों से कुछ भी करने से इंकार कर दिया और नई निविदा जारी करने पर आमादा है और यदि अप्रार्थीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को भारी अपरमित क्षति होगी और राज्य सरकार को भी आर्थिक क्षति होगी तथा यदि प्रार्थी का कार्य बाधित किया जाता है तो उसे भारी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थी का तमाम मशीनरी व मेनपावर व्यर्थ हो जावेगी। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक हो गया है क्योंकि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायल के हक में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये ताफैसला मूल वादपत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत 2207 (2) WLC (Raj.) LAXMAN RAM Vs. KISHANA RAM पेश किया गया ।

7. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए, प्रार्थी के प्रार्थना

पत्र की मद सं02 व 03 को स्वीकार किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित शेष अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर यह अभिकथन किया गया कि अप्रार्थी सं03 द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प0/4 (9)वित्त/ स0वि0ले0नि0/26 दिनांक 23.03.2026 की रोशनी में नई पॉलिसी के तहत नवीन BSR के कारण निविदा जारी की गई हैं। कार्यालय मुख्य अभियन्ता तकनीकी आर.डब्लू.एस.एस.एम.बी.,जसअवि द्वारा ऑफिस आर्डर नम्बर सी.ई. (टी.एम.)/ डी एण्ड एस/ ई.ई–2/एफ–22/2023–24–00441 के माध्यम से पीएचईडी बीएसआर 2023 को जीएसटी रहित दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी किया है। जो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प04(9)/वित्त/सविलेनि/2026 दिनांक 30.03.2026 के अनुपालन में जारी हुआ है। उक्त परिवर्तन मात्र आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर बीओक्यू में जीएसटी घटक को पृथक करने से प्रदर्शित करने की प्रक्रियारत व्यवस्था है। उक्त निविदा मुख्य अभियन्ता ग्रामीण ज.स.अवि. राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र (क) सरकूलर/सीई(आर)/पी.क्यू.–टी डब्लू/2024–25/03 (संशोधित पूर्व अहरिता मापदण्ड) तथा (ख) सरकूलर/सी.ई. (आर)/ गाईडलाईन–टी.डब्लू–एच.पी./2025–26 के अनुपालन में, वित्त समिति की बैठक संख्या 914 दिनांक 17.01.2026 के ऐजेण्डा बिन्दु संख्या 18 के निर्णय अनुसार जारी हुई है तथा "सभी भावी निविदाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं। अतः नवीन निविदा जारी करना अप्रार्थी की मनमानी नहीं है। अपितु नीतिगत निर्णय के तहत उच्च अधिकारियों के निर्देश का अनुपालन है जिसमें उपरोक्त नवीन प्रावधान जोडे गये।

8. अप्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही राज्य सरकार की नीति के तहत राज्य व्यापी एक समान प्रशासन की व्यवस्था है जिसके तहत नई संविदा जारी करने पर कोई रोक नहीं लगायी जा सकती । प्रार्थी फर्म के कार्यादेश को Abandoned नहीं किया गया। वित्त विभाग के सरकूलर दिनांक 24.07.2021 के अनुसार किसी कार्य हेतु एक ही प्रकार की BSR का प्रयोग कर डिटेल एस्टीमेट एवं तकनीकी स्वीकृति तैयार की जायेगी। नलकूपों के प्रस्ताव नवीन BSR पर ही सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाये जा सकते हैं। अप्रार्थी द्वारा राज्य सरकार की नई नीतियों के तहत जारी सरकूलर की रोशनी में कार्य किया जा रहा है जिसमें व्यवधान पैदा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी का उद्देश्य उक्त नीति के वल प्रार्थी पर लागू कर आर्थिक क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि जनहित में पेयजल योजनाओं के कार्यों को

नियमानुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना है। प्रार्थी नई निविदाओं में भाग लेकर नई नीति के तहत कार्य करने को स्वतंत्र है। उत्तरदाता द्वारा नवीनी BSR के तहत निविदा आमंत्रित कर कार्य कराये जाने है और यदि उसमें व्यवधान पैदा होता है तो जनहित प्रभावित होगा । अतः प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है । अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

9. बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का यह कथन रहा कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.03.2026 को एक वर्ष के लिए 450 लाख रुपये का ट्यूबवैल का कार्य करने हेतु ठेका प्रार्थी को दिया था। प्रार्थी ने 10,00,000/–रुपये की बैंक गारंटी भी एक साल के लिए अप्रार्थीगण के पक्ष दे रखी है तथा ट्यूबवैल का कार्य करने हेतु लैबर, मशीन, रॉ मैटेरियल भी प्रार्थी द्वारा खरीद लिया गया है और प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के आदेशानुसार नदबई, वैर, बयाना में ट्यूबवैल का निर्माण कर दिया गया है तथा शेष टयूबवैल का कार्य जारी है।

10. विद्वान अधिवक्ता का आगे यह कथन रहा कि प्रार्थी के पास एक साल का अनुबंध होने के बावजूद अप्रार्थीगण ने नई निविदा जारी कर दी, जिसमें टेण्डर प्रस्तुत करने की दिनांक 06.08.2026 रखी है और टेण्डर खोलने की दिनांक 07.08.2026 रखी है । अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के 09.03.2026 को हुये कॉन्ट्रेक्ट को निरस्त ही नहीं किया और नई निविदा जारी कर दी, जो कि वह करने के लिए अधिकृत नहीं हैं । विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि नई BSR आ जाने के कारण निविदा जारी की गई है, किन्तु नई BSR पुरानी BSR रेट से कम है और प्रार्थी दोनों ही रेट पर कार्य करने को तैयार है, फिर भी दुर्भावनापूर्वक अप्रार्थी सं03 के द्वारा यह निविदा जारी की गई है जिसे जारी करने के लिए वह सक्षम नहीं है क्योंकि जो अनुबंध दिनांक 09.03.2026 को प्रार्थी के साथ किया गया, वह एडिशनल चीफ इंजीनियर के द्वारा किया गया, उसके विरुद्ध जाने का अधिकार अप्रार्थी सं03 को नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि नई BSR में मात्र जीएसटी का फर्क है पहले जीएसटी शामिल थी और अब बिना जीएसटी के रेट है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी पहले चुकाये या बाद में वह तो जीएसटी विभाग में ही जायेगी।

11. विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 विभागों के कार्यो में पारदर्शिता रखने के लिए ही बनाये हैं, किन्तु अप्रार्थी सं03 अधीक्षण अभियंता इन नियमों की पालना नहीं कर रहे और दुर्भावनापूर्वक नई निविदाऐ जारी की गई। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 24.07.2026 को परिपत्र जारी किया है जिसमें दिनांक 31.12.2026 तक शिथिलता प्रदान की है और यह कहा कि IFMS 3.0 पर दिनांक 31.12.2026 तक BOQ Exclusive of GST तथा BOQ Exclusive of GST दोनों प्रकार के प्रावधान उपलब्ध रखे जायेंगे। उक्त परिपत्र के बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के कार्य के विरुद्ध निविदा जारी कर दी, जबकि वह शिथिलता प्रदान कर सकते थे

12. अप्रार्थीगण की ओर से उक्त तर्को का खण्डन करते हुए, बहस के दौरान कथन किया कि पीएचईडी विभाग रेट कॉन्ट्रेक्ट करता है जिसके तहत पूरे वर्ष की एक रेट निर्धारित कर ली जाती है जिससे सरकार का पैसा व टाइम दोनों की बचत होती है, बार–बार एनआईटी नहीं करनी पड़ती। प्रार्थी जिस कॉन्ट्रेक्ट 09.03.2026 की बात करता है वह रेट कॉन्ट्रेक्ट है । रेट कॉन्ट्रेक्ट के पश्चात जितने ट्यूबवैल की सैंक्शन वित्त विभाग से आती है उतने ट्यूबवैल का कार्य करने हेतु कॉन्ट्रेक्टर को अधिकृत कर दिया जाता है। अब तक जितने ट्यूबवैल की सैंक्शन आयी, उतने कार्य का कॉन्ट्रेक्ट प्रार्थी को दे दिया गया तथा प्रार्थी ने कार्य पूर्ण भी किया है।

13. विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा कि BSR संशोधित हो जाने के कारण यह नई निविदा जारी करनी पड़ी, क्योंकि सिस्टम नई BSR जारी हो जाने के कारण पुरानी BSR पर कोई कार्य नहीं करता। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रत्येक टयूबवैल के लिए अलग वर्क ऑडर्र दिया जाता है और यदि कोई पुरानी BSR से प्रोपोजल एप्रव्यू होकर आयेगा तो वर्क ऑर्डर प्रार्थी को ही दिया जायेगा। इसलिय प्रार्थी के रेट कॉन्ट्रेक्ट को निरस्त नहीं किया गया है ।

14. विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि दिनांक 24.07.2026 राजस्थान सरकार के परिपत्र में जो शिथिलता प्रदान की गई है वह एक विशेष कार्य के लिये जो आई एफ एस 3.0 है के लिए है तथा उसी परिपत्र में आगे यह कहा गया कि किसी एक कार्य हेतु एक ही प्रकार की BSR का उपयाोग कर डिटेल स्टीमेट एवं

तकनीकी स्वीकृति तैयार की जा सकेगी। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा कि हमने पुरानी BSR से प्रोपजल भेजा जिसे चीफ सेक्रेटरी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, इसलिये विभाग को नवीन BSR से निविदा जारी करना आवश्यक है ।

15. विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा कि यह राजस्थान सरकार की पॉलिसी है जो कि पूरे राजस्थान के लिए है, ना कि सिर्फ भरतपुर के लिए और पॉलिसी के अनुसार ही BSR परिवर्तित होने के कारण निविदाए मांगी गई हैं जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है । राज्य सरकार की पॉलिसी के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है ।

16. विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया । अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं, जिनके संबंध में इस न्यायालय का निष्कर्ष निम्नप्रकार है ।

(i) प्रथमदृष्टया मामला
(ii) सुविधा का संतुलन
(iii) अपूरणीय क्षति

<u>बिन्दु संख्या–01 प्रथमदृष्ट्या मामला:–</u>

17. प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला साबित करना होगा । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन रहा कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 09.03.2026 को एक साल के लिए अनुबंध हुआ और उक्त अनुबंध 09.03.2027 तक प्रभावी है जिसके तहत 200 एम.एम. DIA THREE PHASE ट्यूबवैल का कार्य करने का अनुबंध हुआ था, किन्तु अप्रार्थी सं03 ने दुर्भावनापूर्वक आशय रखते हुए दिनांक 23.07.2026 को 200 एम.एम. DIA ट्यूबवैल के लिए नई निविदा आमंत्रित कर ली है जिसको करने का उसको कोई अधिकार नहीं था।

18. इसके विपरीत अप्रार्थीगण का यह कथन रहा कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य रेट कॉन्ट्रेक्ट हुआ था जो एक वर्ष के लिये था, किन्तु राज्य सरकार की नवीन पॉलिसी के तहत BSR रिवाइज्ड हो जाने के कारण यह नई निविदा आमंत्रित करना आवश्यक हुआ, जिसमें प्रार्थी भी भाग ले सकता है। अप्रार्थीगण के द्वारा जो भी

कार्य किया गया है वह राज्य की नीति के अनुसार किया गया है।

19. इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर करें तो प्रार्थी की ओर से एडशिनल चीफ इंजीनियर, भरतपुर के द्वारा दिनांक 09.03.2026 को प्रार्थी फर्म के साथ 200 एम.एम. DIA ट्यूबवैल के लिए रेट कॉन्ट्रेक्ट निष्पादित किया। उक्त रेट कॉन्ट्रेक्ट को अप्रार्थीगण ने भी स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि उक्त रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर प्रार्थी को चार ट्यूबवैल का वर्क ऑर्डर दिया गया था जो प्रार्थी द्वारा पूर्ण कर दिया गया है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा BSR 2023 को संशोधित करके नई BSR जारी कर दी गयी और उसकी कठोरता से पालना करने के निर्देश दिये गये थे राज्य सरकार द्वारा संशोधित BSR लागू किये जाने तथा नवीन नीति प्रभावी होने के कारण पुरानी दरों पर कार्य कराया जाना संभव नहीं था इसलिये नवीन निविदाए जारी की गई है। अप्रार्थीगण की ओर से रिवाइज्ड आदेश पेश किया है, जो 01.04.2026 से प्रभावी होगा ।

20. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन रहा कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.07.2026 को एक परिपत्र जारी किया और उसमें दिनांक 31.12.2026 तक शिथिलता प्रदान की गई थी उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने नई निविदाए जारी की । इस संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि जो शिथिलता परिपत्र दिनांक 24.07.2026 के तहत प्रदान की गई है वह IFMS 3.0 प्रोजेक्ट पर की गई है जिनके कि पूर्व में वर्कऑर्डर दिये जा चुके है और वह कार्य लंबित हैं ।

21. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण व प्रार्थी के मध्य रेट कॉन्ट्रेक्ट हुआ था रेट कॉन्ट्रेक्ट का अर्थ केवल स्वीकृत दरों पर कार्य करने की पात्रता प्रदान करता है इससे विशिष्ट कार्य पर स्वतः अधिकार उत्पन्न नहीं होता है । रेट कॉन्ट्रेक्ट के पश्चात प्रत्येक ट्यूबवैल के कार्य के लिए विभाग को पृथक से प्रस्ताव स्वीकृत कराना होता है, उसके बाद ही वर्क ऑर्डर जारी होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में कोई वर्क ऑर्डर जारी किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि रेट कॉन्ट्रेक्ट के अस्तित्व मात्र से प्रत्येक भावी कार्य पर कॉन्ट्रेक्टर का स्वतः प्रर्वतनीय अधिकार उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता, जबतक कि अनुबंध की शर्ते स्पष्ट रुप से ऐसा अधिकार प्रदान ना करती हो । इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई अनुबंधीय शर्त प्रस्तुत नहीं की गई है।

22. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस के दौरान यह तर्क रहा कि राजस्थान लॉक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम 2013 जो कि राज्य सरकार के द्वारा ही बनाये गये हैं उनकी पालना अप्रार्थी सं03 द्वारा नहीं की जा रही है और दुर्भावनापूर्वक तरीके से प्रार्थी को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, जिससे अप्रार्थीगण की दुर्भावना स्पष्ट होती हो, जबकि अप्रार्थीगण की ओर से पेश दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य रेट कॉन्ट्रेक्ट हुआ था, वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। पूर्व में जो वर्क ऑर्डर जारी हुये उनका कार्य पूर्ण कर दिया गया। नई BSR लागू हो जाने के कारण राज्य सरकार की नीति के तहत निविदा जारी की गई है । अतः न्यायालय इस स्तर पर सरकारी नीति व प्रशासनिक वैधता का विस्तृत परीक्षण नहीं कर सकता, जबकि प्रथमदृष्टया निर्णय सावर्जनिक प्रशासन एवं वित्तीय नीति के अनुपालना में लिया गया प्रतीत होता है तथा दुर्भावना व मनमानी का कोई ठोस आधार प्रथमदृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ।

23. यहॉ यह भी उल्लेखनीय होगा, कि न्यायालय राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों में सीमित हस्तक्षेप कर सकता है । प्रार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत 2207 (2) WLC (Raj.) LAXMAN RAM Vs. KISHANA RAM पेश किया है जो हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होता है । अतः प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों व परस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय के विनम्र मत में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया कोई मामला बनना नहीं पाया जाता है । अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्धारित किया जाता है।

<u>बिन्दु संख्या–02 व 03 सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षतिः–</u>

24. उक्त दोनों बिन्दुओं का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हो यह दर्शित करने हेतु भी कोई तथ्य प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके विपरीत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि नवीन निविदाओं पर रोक लगायी जाती है तो इससे सार्वजनिक कार्य/जनहित के कार्य व विभागीय कार्य प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की तुलना में आम जनता व राज्य सरकार को ही ज्यादा असुविधा

होगी। इसके विपरीत यदि वाद के अंतिम निर्णय पर यह स्थापित होता है कि अप्रार्थीगण ने अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन किया है तो उसकी क्षतिपूर्ति प्रार्थी को धन के रुप में की जा सकती है, जबकि यदि अप्रार्थीगण को उक्त कार्य को करने से रोका जाता है तो इससे अप्रार्थीगण द्वारा सरकार की कल्याणाकारी योजनाओं के तहत आमजन के हित हेतु कराये जा रहे कार्य रोके जाने से प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को ही अधिक असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाये जाते हैं । फलतः उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्धारित किये जाते हैं।

25. निष्कर्षतः उपरोक्त समग्र विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप तीनों बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्धारित किये गये हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

::– <u>आ दे श</u> –::

26. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

(प्रेमलता सैनी)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय, भरतपुर

27. आदेश आज दिनांक 07.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रेमलता सैनी)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय, भरतपुर